

**बिहार सरकार**  
**सामान्य प्रशासन विभाग**

**--: अधिसूचना :-**

पटना-15, दिनांक- /03/2026  
संख्या-14/निजी-1239/2025- /सा0प्र0-सुश्री आरती, बि0प्र0से0, को0क्र0-530/24  
(467/26), अपर समाहर्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया को निजी कार्य हेतु  
बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक-15.04.2026 से  
दिनांक-26.04.2026 तक (कुल-12 दिन) उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-636(23), दिनांक-  
09.05.2025 द्वारा निर्गत छुट्टी आदेयता प्रतिवेदन के आलोक में सुश्री आरती के पक्ष में  
उपर्युक्त छुट्टी की स्वीकृति के उपरान्त कुल:-273-12=261 दिनों की उपार्जित छुट्टी  
आदेय होगी।

3. सुश्री आरती को निदेश दिया जाता है कि वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-5632,  
दिनांक-26.06.2015 की कंडिक-8(iii) के आलोक में उक्त छुट्टी से लौटने के उपरांत  
वेतन पुर्जा निर्गत करने हेतु अपने धारित पद का प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन वित्त (वै0दा0नि0को0)  
विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगी।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(राजीव रंजन दास)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-14/निजी-1239/2025- 5538/सा0प्र0 पटना-15, दिनांक- 24/03/2026  
प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार  
राजपत्र में प्रकाशनार्थ (प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम  
से)/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी,  
खगड़िया/सुश्री आरती, अपर समाहर्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया/प्रबंधक,  
आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेब-साईट पर अपलोड करने  
हेतु)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-29 (चारित्री कोषांग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ  
प्रेषित।

  
23/03.2026

सरकार के उप सचिव।